

**सं. 4/47/2017-दीपम-II-ए**  
**भारत सरकार**  
**वित्त मंत्रालय**  
**निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग**

**इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लि. (आईएमपीसीएल) के सामरिक विनिवेश के लिए विधिक सलाहकारों की नियुक्ति।**

**1. प्रस्तावना**

1.1 इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लि. (आईएमपीसीएल) आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का अनुसूची 'घ' का एक उद्यम है जिसमें भारत सरकार की शेयरधारिता 98.11% है तथा 1.89% शेयरधारिता केएमवीएन (उत्तराखंड सरकार का पीएसयू) द्वारा धारित है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कुल कारोबार 66.45 करोड़ रुपये था। 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 65.49 करोड़ रुपये है।

1.2 आईएमपीसीएल की स्थापना 12 जुलाई, 1978 को की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रमाणिक और प्रभावकारी दवाइयों का निर्माण करना तथा उनकी खुले बाजार में बिक्री के अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के औषधालयों, केंद्र सरकार की अनुसंधान इकाइयों (सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम आदि) और कुछ राज्य सरकारों के संस्थानों को आपूर्ति करना है। आईएमपीसीएल आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। यह आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के निर्माण के क्षेत्र में एकमात्र केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है।

1.3 कंपनी की कुल शेयरधारिता 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 4,92,80,000 इक्विटी शेयर हैं जिसमें से 48,30,00,000 के शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम हैं और शेष 98,00,000 रुपये के शेयर केएमवीएन (उत्तराखंड सरकार का पीएसयू) द्वारा धारित हैं। कंपनी के पास मोहन में 40.31 एकड़ भूमि है जो वर्ष 1982 से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) से 90 वर्ष के पट्टे पर ली गई है और 4.616 एकड़ भूमि रामनगर में है जो वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश सरकार (अब उत्तराखंड सरकार) से 30 वर्ष के पट्टे पर ली गई है।

1.4 कंपनी का पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय पोस्ट बॉक्स नं. : मोहन, जिला अल्मोड़ा, वाया रामनगर, उत्तरांचल, उत्तराखंड-244715 में स्थित है। 01.11.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 120 कर्मचारी (कार्यपालक - 21 और गैर-कार्यपालक - 99) हैं।

1.5 कंपनी की वेबसाइट <http://www.impclmohan.nic.in> है।

**2. प्रस्ताव**

2.1 भारत सरकार ने आईएमपीसीएल में भारत सरकार की 100% इक्विटी का, दो चरणीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश पर विचार करने का "सैद्धांतिक" निर्णय लिया है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को भारत सरकार की ओर से, सरकार के लिए विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करने और प्रक्रिया में

सरकार की सहायता करने के लिए विख्यात विधिक फर्मों की सेवाओं की आवश्यकता है जिनके पास विलय एवं अधिग्रहण/अधीनीकरण/सामरिक विनिवेश में अनुभव और विशेषज्ञता हो।

2.2 पात्र घरेलू विधिक फर्म "पात्रता मापदंड" में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार विधिक फर्मों के चयन के लिए नीचे उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

### 3. कार्यक्षेत्र

- (i) संपत्तियों/परिसंपत्तियों/स्थावर संपदा के सभी विधिक करारों, अधिकारों, कर्मचारियों आदि के साथ बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों और करारों के संबंध में समीक्षा करना और सलाह देना।
- (ii) विशेष तौर पर अधिकारों, भूमि और संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों, मुकदमों से संबंधित प्रकटीकरणों और सूचना जापन में अन्य उन प्रकटीकरणों के संबंध में सूचना जापन की समीक्षा करना जिनके लिए विधिक पुनरीक्षण आवश्यक हो।
- (iii) आरएफपी दस्तावेज की समीक्षा।
- (iv) सौदा संबंधी दस्तावेजों का प्रारूपण जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
  - बिक्री करार, शेयर खरीद करार, गोपनीयता करार/गैर-प्रतिस्पर्धा करार आदि।
  - कोई अन्य अनुषांगिक करार जो सौदे के समापन में सहायता हेतु अपेक्षित हो।
- (v) उचित उद्यमिता और डाटा कक्ष की तैयारी हेतु व्यवस्था में सलाह और सहायता देना।
- (vi) सौदे की संरचना पर सलाह देना, जिसमें, यथा-अपेक्षित, सेबी के दिशा-निर्देशों, स्टॉक एक्सचेंज सूचीकरण दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम, आय कर अधिनियम और किसी अन्य प्रासंगिक कानून का अनुपालन शामिल है।
- (vii) आवश्यक निगमित संकल्पों की समीक्षा, जिसमें, यदि अपेक्षित हो, सहायक कंपनी की जानकारी/सहायक कंपनी या शैल कंपनी आदि को व्यवसाय के अंतरण की जानकारी शामिल है।
- (viii) संभावित सामरिक भागीदार के साथ बातचीत में यथा-अपेक्षित सहयोग जिसमें विनिवेश प्रक्रिया के दौरान और विनिवेश प्रक्रिया से संबंधित विधिक मामलों पर सलाह देना शामिल है।
- (ix) कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या कर्मचारियों के लिए किसी अन्य उस स्कीम का मसौदा तैयार करने में सहायता करना जो कानून सम्मत हो।
- (x) सौदे के समापन को सुविधाजनक बनाना।
- (xi) किन्हीं उन मुद्दों में सहायता करना जो सौदे के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।
- (xii) विधिक सलाहकार को सौदा सलाहकार और दीपम/ प्रशासनिक मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग द्वारा सौदे हेतु नियुक्त अन्य मध्यस्थों के साथ गहरा तालमेल बनाकर काम करना होगा।

उपरोक्त विचारार्थ विषय संकेतात्मक हैं और प्रकृति में गैर-सीमित हैं। ऐसी कुछ प्रासंगिक सेवाएं हो सकती हैं, जिन्हें पूर्वोक्त कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है ,

लेकिन यदि वे भारत सरकार द्वारा विधिक सलाहकार के संज्ञान में लाई जाएं तो वे कार्य क्षेत्र का एक अभिन्न और अनिवार्य भाग होंगी।

#### **4. पात्रता मापदंड**

4.1 घरेलू विधिक फर्म को एक सुविख्यात परामर्शदायी फर्म होना चाहिए, जिसके पास सामरिक विनिवेश या सामरिक बिक्री या विलय और अधिग्रहण गतिविधियों या वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

4.2 बोलीदाताओं द्वारा 01 अप्रैल, 2014 से 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान 75 करोड़ रुपये या उससे बड़े आकार के कम से कम एक सामरिक विनिवेश या सामरिक बिक्री या विलय और अधिग्रहण गतिविधियों या वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे में सलाह दी गई हो, काम किया गया हो और उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया हो।

#### **5. प्रस्ताव का प्रारूप और तकनीकी मूल्यांकन के मापदंड**

5.1 इच्छुक विधिक फर्म अपने प्रस्ताव को निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करेंगी :

**5.1.1 विलय तथा अधिग्रहण /अधीनीकरण/सामरिक विनिवेश /निजी इक्विटी संबंधी कार्य में अनुभव और क्षमता (मूल्यांकन हेतु महत्व 25/100)**

- (i) संस्था की रूपरेखा
- (ii) फर्म की दक्षता, सक्षमता एवं विगत अनुभव तथा सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सौदे के समापन के बाद की जाने वाली अपेक्षित खुली पेशकशों सहित ऐसे कार्यों के संचालन में उसकी विशेषज्ञता
- (iii) सरकार के साथ तथा सौदा सलाहकार टीम के एक भाग के रूप में अन्य मध्यस्थों के समन्वय में, कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित करना।

**5.1.2 आधारभूत सुविधाएं जैसे शाखा कार्यालय एवं मानव शक्ति (मूल्यांकन हेतु महत्व 25/100)**

- (i) भारत में आधारभूत सुविधाओं का विवरण जैसे कि कार्यालय एवं मानवशक्ति आदि।
- (ii) मुख्य एवं सहयोगी दलों का विवरण (प्रत्येक टीम सदस्य के शैक्षिक एवं संबंधित अनुभव समेत संपूर्ण वैयक्तिक ब्यौरा), जिन्हें चयनित होने पर प्रत्येक कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

**5.1.3 विनियामक ढांचे की समझ (मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100)**

- (i) विलय तथा अधिग्रहण/अधीनीकरण/सामरिक विनिवेश में, विशेषकर सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम, एफडीआई दिशा-निर्देश आदि के संदर्भ में विधिक, नीतिगत एवं विनियामक मामलों की समझ का प्रदर्शन करें।
- (ii) विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने की अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करें।

- (iii) उड्डयन क्षेत्र में विधिक, नीतिगत और विनियामक मुद्दों की समझ प्रदर्शित करें जिसमें विमान अधिनियम, विमान नियम, विमान पट्टा करार आदि शामिल हैं।

#### 5.1.4 संकेतात्मक समय-सीमा (मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

- (i) समय-सारणी की अपेक्षा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की क्षमता तथा सौदे की पूर्ण अवधि में मुख्य कार्मिकों की कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता का प्रदर्शन करें। प्रस्तावित सौदे के लिए समय-सीमा सुझाएं।

#### 5.1.5 सामरिक विनिवेश हेतु रणनीति (मूल्यांकन हेतु महत्व 25/100)

- (i) प्रस्तावित सौदों के लिये निश्चित दृष्टिकोण को दर्शाये जिसमें सौदे की क्रमबद्धता भी सम्मिलित हो।
- (ii) स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के पास दायर किए जाने वाले गुणवत्ता दस्तावेज तैयार करने या वे करार तैयार करने की क्षमता दर्शाएं, जो सौदे के दौरान संपन्न किए जाने अपेक्षित हों।

5.2 बोलीदाताओं को तकनीकी मूल्यांकन हेतु सूचीबद्ध करने के मानक पूर्व निर्धारित होंगे तथा तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं के नाम पर वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा।

## 6. बोली-पूर्व बैठक

एक बोली-पूर्व बैठक प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले आयोजित की जाएगी। तारीख, समय और स्थान की जानकारी उचित समय पर दीपम की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। इच्छुक पार्टियां बोली-पूर्व बैठक से पहले अपने प्रश्न नीचे पैराग्राफ 7.2 में दिए गए अनुसार बोली प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी को ई-मेल से भेज सकती हैं।

## 7. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

7.1 प्रस्ताव को निम्नानुसार दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाए :

- (i) लिफाफा 1 जिसमें निम्नलिखित शामिल हों :
- (i) पैरा 5 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप तकनीकी बोली;
- (ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्राधिकार पत्र;
- (iii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 'दोषसिद्धि हीनता' और 'टकराव हीनता' के संबंध में **अनुबंध -I** के अनुसार एक शपथ-पत्र-सह-वचनबद्धता प्रस्तुत करें;
- (iv) **अनुबंध -II** में दिए गए प्रारूप में गोपनीयता वचनबद्धता;
- (v) **अनुबंध -III** में दिए गए प्रारूप में शर्तहीन बोली के संबंध में प्रमाण -पत्र। कृपया नोट करें कि सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- (vi) यह प्रमाण-पत्र कि चयन और नियुक्ति की दशा में उद्धृत शुल्क के 5% के समान एक कार्य निष्पादन गारंटी डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में दी जाएगी जो सौदे की समाप्ति तक वैध हो।

(vii) एक **50,000 रुपये** (मात्र पचास हजार रुपये) का अप्रतिदाय शुल्क।

(ii) **लिफाफा 2 (सीलबंद)** जिसमें **अनुबंध-IV** में दिए गए प्रारूप में वित्तीय बोली हो।

7.2 प्रस्ताव (दोनों लिफाफे) की पठनीय मूल प्रतियां, जो विधिक सलाहकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, श्री प्रिय रंजन, अवर सचिव, दीपम, कक्ष सं. 203, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को **दिनांक 18.01.2018 को 1500 बजे** तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के डाक/कोरियर संबंधी विलंब के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

7.3 रुचि की अभिव्यक्ति को **18.01.2018 को 1530 बजे** निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सम्मेलन कक्ष (कमरा सं. 515, पांचवा तल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003) में निविदा खोलने वाली समिति के द्वारा बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोला जाएगा।

7.4 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

7.5 केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लें।

## **8. चयन की प्रक्रिया**

8.1 अर्हताप्राप्त इच्छुक विधिक फर्मों (आवेदकों) को दीपम के सम्मेलन कक्ष (कमरा सं. 515, पांचवा तल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003) में चयन समिति के समक्ष अपने प्रस्ताव के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण करना होगा।

8.2 प्रस्तुतीकरण हेतु समय सारणी, उचित समय पर दीपम की वेबसाइट ([www.dipam.gov.in](http://www.dipam.gov.in)) पर डाल दी जाएगी।

8.3 बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 5 में दिए गए मानदंडों के आधार पर, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा किया जाएगा तथा वह उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक, जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी, प्राप्त किए हों। चयन समिति द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। निम्नतम बोलीदाता को कार्य सौंपा जाएगा।

8.4 वित्तीय बोली में समान स्थिति की दशा में तकनीकी बोली में अधिक अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

## **9. वित्तीय बोली हेतु आवश्यकताएं**

- (क) बोलीदाता को पूर्वोक्त कार्यक्षेत्र हेतु सभी लागू करों सहित भारतीय रूपए में एक नियत एकमुश्त शुल्क उद्धृत करना होगा।
- (ख) उद्धृत शुल्क में किसी भिन्नता के मामले में आंकड़ों में दी गई संख्या को वित्तीय बोली के मूल्यांकन सहित सभी प्रयोजनों हेतु सही माना जाएगा।
- (ग) बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया शुल्क सौदे की सफल समाप्ति तक नियत रहेगा।
- (घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया शुल्क शर्त रहित होगा। अन्य सभी व्यय का वहन बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।
- (ङ) बोलीदाता विधि के अनुसार लागू करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

## 10. भुगतान की शर्तें

चयनित बोलीदाता को शुल्क का भुगतान भारतीय रुपये में इस प्रकार किया जाएगा :

- (क) उद्धृत और सरकार द्वारा स्वीकृत शुल्क में से 20% का भुगतान, संभावित क्रेताओं से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने के लिए आरएफपी जारी करने और उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध करने पर किया जाएगा।
- (ख) 50% का भुगतान, संभावित क्रेताओं से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार करने पर किया जाएगा।
- (ग) 30% का भुगतान, सौदे की सफल समाप्ति पर किया जाएगा।

## 11. भुगतान की पद्धति

भुगतान की व्यवस्था के लिए फर्म को इनवॉयस तीन प्रतियों में दीपम को देना होगा। शुल्क के भुगतान के लिए बिल तैयार करते समय अलग-अलग कर अलग-अलग दर्शाए जाने चाहिए। तथापि, सकल राशि वित्तीय बोली में उद्धृत आंकड़ा होनी चाहिए जिसके आधार पर बोलीदाता का चयन किया गया था।

11.1 आवेदक के लिए एकमुश्त शुल्क उद्धृत करना अपेक्षित है जिसमें नियम के अनुसार आवेदक द्वारा देय कर शामिल हों।

11.2 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए तथा उसमें सभी खर्च सम्मिलित होना चाहिए। गौर किया जाए कि विधिक फर्म वित्तीय बोली की वैधता के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकती।

11.3 किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु श्री प्रिय रंजन , अवर सचिव , दीपम, वित्त मंत्रालय , कक्ष सं. 203, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को टेलीफोन नं. 011-24368736 , फैक्स सं. 24368502, ई-मेल priya.ranjan@nic.in पर संपर्क करें।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1 हेतु कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

### गोपनीयता वचनबद्धता

यह प्रमाणित किया जाता है कि (कंपनी का नाम) से संबंधित दस्तावेज/आंकड़े/जानकारी जो (बोलीदाता का नाम) को सलाह या उसके संबंध में अन्यथा उपलब्ध कराई जाएगी, अत्यंत गोपनीय मानी जाएगी और (बोलीदाता का नाम) द्वारा कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी/व्यक्ति को नहीं सौंपी जाएगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मूल्यांकन रिपोर्टें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो (बोलीदाता का नाम) द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी बाहरी एजेंसी/व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जाएगा और अत्यंत गोपनीय माना जाएगा।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

बोलीदाता के लैटरहेड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप

सेवा में,

-----

महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है **आईएमपीसीएल** के सामरिक विनिवेश के लिए विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क , दीपम, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रस्तावों हेतु अनुरोध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर



बोलीदाता के लैटरहेड पर मूल्य बोली का प्रारूप

क्र. सं.	कार्य का वर्णन	भारतीय रुपये में शुल्क (सब कुछ मिलाकर)
1.	सभी लागू करों सहित भारतीय रुपये में नियत एकमुश्त शुल्क  अन्य सभी खर्चों का वहन (बोलीदाता का नाम ) द्वारा किया जाएगा	(अंकों में)    (शब्दों में)

टिप्पणी :

- 1) उद्धृत शुल्क में अंकों और शब्दों में किसी भिन्नता के मामले में शब्दों में दी गई संख्या को सभी प्रयोजनों हेतु सही माना जाएगा।
- 2) चूंकि, बोली में सभी कर शामिल हैं इसलिए कर की कोई अतिरिक्त देयता , जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा कर दर में किसी परिवर्तन या अतिरिक्त करों के आधार पर उत्पन्न हो सकती है, का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर